(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017/निगरानी

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/6032

1 मानसिंह पिता रामचरण

2 सुगन बाई पत्नि मान सिंह

दोनो व्यस्क जाति चमार निवासी एवं कृषक ग्राम जंगीखेडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्व

1 पर्वतसिंह पिता रामचरण

2 धनकुंवर पति पर्वतसिंह दोनो व्यस्क जाति चमार निवासी एंव कृषक ग्राम जंगीखेडीं तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0 ....अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 13.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 03.1.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार कालापीपल के प्रकरण क्रमांक. 2/अ–13/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 से असंतुष्ठ एंव दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करते हैं ।

(1) यकि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एंव विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैधानिक कारण के रिस्पोन्डेंट का आवेदन स्वीकार करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

(3) यहकि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कारण के आवेदक की भूमि में से नवीन रास्ता कायम कर अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

(4) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2017 को प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 131 भू–राजस्व संहिता के लगभग 1 वर्ष बाद अंतरिम आदेश दिया है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेंट को रास्ता उपलब्ध है । व दुर्भावना से उसके

मानसिंह / पर्वतसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(55)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(54)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/नि/श्योपुर/भू.रा./17/6032 जिला - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कालापीपल के प्रकरण क्रमांक 2/अ-13/2012-18 में पारित आदेश दिनांक 5-12-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर श्योपुर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	